HRAA THUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1026]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 2015/वैशाख 26, 1937

No. 1026]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 2015/VAISAKHA 26, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1307(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 9 जनवरी, 2014, में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 30 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1487(अ), जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) यथाअपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिंदिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 9 जनवरी, 2014, को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई है;


अत: केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विर्निदिष्ट उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

				3	भनुसूची			
राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	राजस्व सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख
केरल	वयानाड	सुल्तान बत्तेरी	नडवयल ग्राम	विष्णुमंदिर (विष्णुगुडि)	सर्वे नम्बर 285/2 बलॉक 60	0.600 हेक्टेयर 15 सेंट	निजी	उत्तर : सर्वे नम्बर 285/2 (भाग) पूर्व : सर्वे नम्बर 285/2
								(भाग) पश्चिम : सड़क
								दक्षिण : सर्वे नम्बर 285/ (भाग)

[फा. सं. 2-24/2008 स्मारक (भाग-2)]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

विष्णु मंदिर (विष्णुगुडी), नडवयल - ग्राम, तहसील - सुल्तान बतेरी, जिला – वयनाड, राज्य - केरल



MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.O. 1307(E).—Whereas by the notification of the Central Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 1487(E), dated the 30th May, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th June, 2014 the Central Government gave two months's notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to the notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient site as required under Sub-section (1) of Section (4) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 9th June, 2014;

And whereas, no objection has been received from the general public to the making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Taluk	Locality	Name of Monument	Khata Number	Area	Owner- ship	Boundaries
Kerala	Wayanad	Sulthan Bathery	Nadavayal Village	Vishnu Temple (Vishnugudi)	Survey Number 285/2 Block 60	0.600 - hectare 15 Cents	Private	North : Survey Number 285/2 (Part)
								East : Survey Number 285/2 (Part)
								West : Pathway
								South: Survey Number 285/2 (Part)

[F. No. 2/24/2008-M (Part II)]

RAKESH TEWARI, Director General

SITE PLAN OF VISHNU TEMPLE (VISHNUGUDI), VILLAGE:NADAVAYAL, TALUK:SULTHAN BATHERY, DISTRICT: WAYANAD, STATE: KERALA

